प्रेस नोट

थाना चांदीनगर दिनाँक 05.08.2022

थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अमित त्यागी पुत्र जयकुमार उर्फ सुक्खे निवासी ग्राम कहरका में बने मकान कीमत लगभग 05.91 लाख रूपये की सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 05.08.2022 को थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाना खेकडा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 123/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अमित त्यागी पुत्र जयकुमार उर्फ सुक्खे निवासी ग्राम कहरका थाना चांदीनगर जनपद बागपत की ग्राम कहरका में स्थित रिहायसी भूमि 53.38 वर्ग मीटर पर बने मकान जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 05.91 लाख रूपये है को कुर्क/जब्त कर श्रीमान क्षेत्राधिकारी बागपत को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया। अभियुक्त अमित त्यागी शातिर प्रवृत्ति का अपराधी है, इसके विरूद्ध लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट आदि के करीब आधा दर्जन अभियोग दर्ज है। अभियुक्त अमित त्यागी थाना चांदीनगर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। जिसका हिस्ट्रशीट नम्बर- 1116A है।

अभियुक्त अमित त्यागी का आपराधिक इतिहास:-(H.S NO- 1116A)

1. मु0अ0सं0 401/2020 धारा 356 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।

2. मु0अ0सं0 481/2020 धारा 394/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।

3. मु0अ0सं0 04/2021 धारा 307/34/411/414/417 भादवि थाना खेकडा, जनपद बागपत।

4. मु0अ0सं0 06/2021 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।

5. मु0अ0सं0 123/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 05-08-2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 281/22 धारा 393/323/504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही -

दिनांक 05-08-2022 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री सुरजीत सिंह पुत्र जयभगवान सिंह निवासी औगटी थाना बालैनी जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त राहुल पुत्र हरचन्द निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत व दो अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी के साथ लूट का प्रयास करना, मारपीट करते हुए गाली-गलौच की। वादी व जनता के लोगों द्वारा अभियुक्त राहुल उपरोक्त को पकडकर थाने लाया गया। अभियुक्त के दो अन्य साथी फरार हो गये। थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा अभियुक्त राहुल पुत्र हरचन्द निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 281/22 धारा 393/323/504 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-राहुल पुत्र हरचन्द निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- का0 779 भूपेन्द्र सिंह

2-हो0गा0 709 एस कुमार।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 05.08.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 771/22 धारा 323/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 04/08/22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री विशाल पुत्र सोमपाल ने तहरीर दी कि अभियुक्त 1. जितेन्द्र पुत्र नामालूम 2. सुमन पुत्र नामालूम 3. शम्भू पुत्र शौकीन 4. मुनेश पत्नी जितेन्द्र निवासीगण नई बस्ती निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत द्वारा वादी के साथ मारपीट व गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 771/22 धारा 323/504/506 भादवि में पंजिकृत किया गया। अभियोग में विवचेना के दौरान अभियुक्त सुमन पुत्र नामालूम निवासी नई बस्ती निवाड़ा बागपत का नाम सविन्द्र पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम भड़ल थाना दोघट बागपत के रूप में प्रकाश में आया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 771/22 धारा 323/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-शम्भू पुत्र शौकीन निवासी ग्राम खेड़की थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-सविन्द्र पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम भड़ल थाना दोघट बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री सुनील कुमार कोतवाली बागपत।

2-का0 179 सचिन थाना कोतवाली बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 05.08.22**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने दिनाँक 04.08.22 को सोशल मीडिया पर स्कूली बच्चों को ई-रिक्शा में एवं छत पर लापरवाही से बैठाकर स्कूल ले जाने का फोटो एवं वीडियो वायरल में कार्यवाही करते हुये ई-रिक्शा चालक को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनाँक 04.08.22 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो/फोटो वायरल हुआ जिसमें एक ई-रिक्शा चालक द्वारा स्कूली बच्चों को लापरवाही से ई-रिक्शा की छत पर बैठाकर नवाब शौकत हमीद जूनियर हाई स्कूल कस्बा बागपत ले जाया जा रहा है। थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा वायरल वीडियो/फोटो पर त्वरित कार्यवाही करते हुये ई-रिक्शा चालक नसीम पुत्र यामीन निवासी शेख बाबूद्दीन पीर के पास मौ0 केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत को गिरफ्तार कर ई-रिक्शा को कब्जे में लिया गया है। अभियुक्त ई-रिक्शा

चालक नसीम उपरोक्त एवं नवाब शौकत हमीद जूनियर हाई स्कूल के प्रबन्धक के विरूद्ध मु0अ0सं0 772/22 धारा 279 भादवि पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1-नसीम पुत्र यामीन निवासी शेख बाबूद्दीन पीर के पास मौ0 केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

- ई-रिक्शा रंग लाल-काला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री विनोद कुमार कोतवाली बागपत।

2- है0का0 340 ब्रेशपाल कोतवाली बागपत।

3- का0 775 मन्जीत सिंह कोतवाली बागपत।

प्रेस नोट

थाना दोघट **दिनाँक 05.08.2022**

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 195/2022 धारा 323/504/506 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.08.2022 को थाना दोघट पर वादी श्री किशोर कुमार पुत्र महावीर सिंह निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1. याशीन पुत्र मजीद 2. हारुन पुत्र याशीन 3. मोमीन उर्फ मलिक पुत्र याशीन निवासीगण कस्बा टीकरी

थाना दोघट जनपद बागपत के द्वारा उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई व जान से मारने की धमकी दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 195/2022 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 195/2022 धारा 323/504/506 भादवि से संबंधित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1- याशीन पुत्र मजीद निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट बागपत।

2- हारुन पुत्र याशीन निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट बागपत।

3- मोमीन उर्फ मलिक पुत्र याशीन निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री मौ0 अब्बास नकवी थाना दोघट।

2- का0 492 अनुज कुमार थाना दोघट।

प्रेस नोट

थाना खेकडा **दिनाँक 05-08-2022**

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 263/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधो की रोकथाम व गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 263/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-पुनीत पुत्र भारत भूषण उर्फ बब्बू निवासी ग्राम नया सुभानपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-प्रमोद पुत्र लज्जाराम निवासी ग्राम नयासुभानपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त पुनीत का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 263/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 71/21 धारा 394/411/120बी भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 72/21 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

4-मु0अ0सं0 74/21 धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त प्रमोद का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 263/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 71/21 धारा 394/411/120बी भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मौ0 आसिफ।

2-का0 373 बबलू कुमार।

3-का0 734 ओमेन्द्र धामा।

4-का0 1063 संजय कुमार।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 05.08.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधो की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

1. शाबिर पुत्र मौ0 इशाक निवासी ग्राम बाधू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना सि0अहीर
2. का0 48 आकास थाना सि0अहीर